



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए० / एस०एस०-1 / श०स्था०नि० /

दिनांक-

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, कांटी
जिला- मुजफ्फरपुर

महाशय,
नगर पंचायत, कांटी के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 295/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।
संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

- ६० -


वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए० / एस.एस.-1 / श०स्था०नि० / 146 L3/304

दिनांक- 28/11/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर



तन्वीर हसन 28/11/16

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.- 295/16-17

नगर पंचायत, कांटी

भाग -I

प्रस्तावना

- 1 निरीक्षित इकाई का नाम नगर पंचायत, कांटी
- 2 परीक्षित लेखा की अवधि 2013-14 से 2015-16
- 3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट-I में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट- II में दर्शाया गया है।
- 4 लेखापरीक्षा की अवधि 20.05.2016 से 28.05.2016
- 5 **प्रशासन**
 - मुख्य पार्षद कार्य अवधि
 1. श्रीमती शोभा गुप्ता 01.04.2013 से अबतक
 - उप मुख्य पार्षद
 1. श्री चन्देश्वर पासवान 01.04.2013 से 17.10.2014 तक
 2. श्री महेश प्रसाद साह 17.10.2014 से अबतक
 - कार्यपालक पदाधिकारी
 1. श्री रामजी प्रसाद 01.04.2013 से 12.02.2014
 2. श्रीमति मीरा कुमारी शर्मा 13.02.2014 से 11.04.2014
 3. श्री अजय कुमार प्रिंस 11.09.2014 से 12.05.2015
 4. श्री शम्स तबरेज आलम 12.05.2015 से 07.09.2015
 5. श्री प्रफुल्ल चन्द्र यादव 08.09.2015 से अबतक
- 6 लेखापरीक्षा दल के सदस्य श्री सालकीन अहमद, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
श्री मनोज कुमार, पर्यवेक्षक
श्री राम नाथ प्रसाद, पर्यवेक्षक
- 7 निरीक्षण अधिकारी का नाम श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
- 8 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनेक बार स्मारित करने के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।

9 अंकेक्षण टिप्पणी

जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

10 क्या कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हॉ, दिनांक 28.05.2016 आपत्तियों पर चर्चा की गयी

11 लेखापरीक्षा परिणाम

1.	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	10074.00
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	701886.00
3	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	1925514.00

(विवरण परिशिष्ट- VII पर)

12. बजट प्राक्कलन का नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगरपालिका बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा देगी। परन्तु नगर पंचायत कांटी द्वारा 2013-14 से 2015-16 की बजट संचिका एवं बजट की प्रति अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि कार्यालय कर्मों के अभाव/कमी के कारण बजट प्राक्कलन ससमय तैयार नहीं किया गया। भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में बजट तैयार किया जाये।

13. नगर पंचायत, कांटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की आय-व्यय विवरणी निम्न प्रकार थी :

		2013-14	2014-15	2015-16
1	प्रारम्भिक शेष	40219140.19	55383478.19	55310312.19
2	वर्ष के दौरान प्राप्ति			
क	अनुदान	19669585	14235539	39504303
ख	ब्याज	702212	902835	746345
ग	अन्य	0	0	0
3	वर्ष के दौरान प्राप्ति	20371797	15138374	40250648
4	कुल प्राप्ति	60590937.19	70521852.19	95560960.19
5.	कुल व्यय	5207459	15211540	30046073
6	अंतशेष	55383478.19	55310312.19	65514887.19

(विवरण परिशिष्ट- III पर)

नगर पंचायत, कांटी द्वारा कोषागार रोकड़बही सहित 34 रोकड़बही का संधारण किया गया ।

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत कांटी द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग-II(क)-शून्य

भाग-2(ख)

कडिका संख्या:-1 नगर पंचायत सामान्य बोर्ड की सहमति के बिना स्ट्रीट लाइट की खरीद राशि :- ₹ 12.33 लाख

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के अनुसार नगर पंचायत में पांच लाख रुपये से अधिक किन्तु दस लाख रुपये से कम की संविदा प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती। आगे यह भी लिखा है कि दस लाख रुपये से अधिक के व्यय की कोई भी संविदा नगर पंचायत की सामान्य बोर्ड की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती। (नगर विकास एवं आवास विभाग अधिसूचना सं0 2726/10.09.14)

परन्तु कांटी नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइट की खरीद से संबंधित संचिका के अंकेक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि डिजाइनर लाइट एवं हाई मास्ट लाइट की खरीद के लिए निर्णय सशक्त स्थायी समिति की बैठक 22.07.14 के प्रस्ताव सं0 06 एवं 08.11.14 के प्रस्ताव सं0 03 के आलोक में दैनिक समाचार पत्र में निविदा 01/2014-15 निकाली गयी। निविदा के आलोक में कुल 07 आपूर्तिकर्ताओं ने निविदा डाली। निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पर दिनांक 18.12.14 को विचार करते हुए सशक्त

स्थायी समिति द्वारा अनिल इलेक्ट्रिकल्स, सरायगंज, मुजफ्फरपुर का चयन प्रति पीस ₹ 5031/- पर किया गया एवं कार्यादेश निकाला गया। (पत्रांक सं0 03/02.01.15)

कार्यादेश के आलोक में आपूर्तिकर्ता द्वारा सामानों की आपूर्ति की गयी एवं कार्यालय द्वारा राशि का भुगतान किया गया। परन्तु सामान्य बोर्ड की सहमति से संबंधित प्रमाणपत्र संचिका में नहीं पाया गया।

विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं0	सामानों का नाम	बिल की राशि	कटौती		अभिभ्रवं सं0/दिनांक/सामानों की संख्या	अभियुक्ति
			सिक्व्यूरीटी जमा	भुगतेय राशि		
1	स्ट्रीट लाइट (245 अद्द)	1232500.00	60629.00	1170700.00	/245 पीस	चूँकि आपूर्तिकर्ता द्वारा फार्म C-III सलंगन किया गया अतः वैट की कटौती कार्यालय द्वारा नहीं की गयी थी।

सामान्य बोर्ड की सहमति के बिना स्ट्रीट लाइट की खरीदारी के आपत्ति के जवाब में कार्यालय द्वारा यह कहा गया कि सामान्य बोर्ड की अगली बैठक में उक्त खरीदारी की सहमति प्राप्त कर ली जाएगी।

सामान्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बगैर सामान की खरीदारी एवं भुगतान करने के कारण व्यय की गयी राशि ₹ 1232500/- अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या:- 2 विषय :-28 पीस सोलर लाइट खरीद में अनियमितता एवं अधिक भुगतान (राशि- ₹ 7.01 लाख)

सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.06.12 के प्रस्ताव सं0 07 एवं दिनांक 31.07.12 के प्रस्ताव सं0 01 में नगर पंचायत के शहरी क्षेत्र में 13 वित्त आयोग मद से सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिस दर पर एवं जिस आपूर्तिकर्ता से जिला प्रशासन ने पूर्व में सोलर लाइट खरीदा था (जिला विकास प्रशाखा कार्यालय आदेश सं0- डी.एम./2470/1.10.2008) एवं पूर्व में इस नगर पंचायत में सोलर लाइट खरीदी गयी थी उसी आपूर्तिकर्ता से उसी दर पर पुनः 28 पीस सोलर लाइट खरीदा जाय। इसके लिए श्री राम इलेक्ट्रीक को कार्यालय आदेश सं0 145/04.09.2012 निर्गत किया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा 28 पीस सोलर लाइट की आपूर्ति 16.11.2012 को की गयी एवं कार्यालय द्वारा राशि का भुगतान किया गया। शहरी क्षेत्र में सोलर लाइट खरीदने के लिए सामान्य बोर्ड की सहमति दिनांक 22.06.11 को ली गयी थी।

विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं0	चेक सं0	तिथि	विपत्र की राशि	वैट की दर प्रतिशत में	वैट की राशि	राशि	अंतिम भुगतान	अभिभ्रवं सं0	लाईटों की सं0
1.	24633	06.06.13	1394400 /-	5	55986/ -	1338414 /-	1394400/ -		28

अंकेक्षण टिप्पणी :-

1. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, सभी सामान जे.एम.डी. मुजफ्फरपुर, बिहार से ही खरीदा गया था, अतः वैट की राशि के रूप में ₹ 55986/- की कटौती की जानी चाहिए थी जो नहीं की गयी। अतः राशि ₹ 55986/- का अधिक भुगतान किया गया।
2. कार्यालय आदेश 04.09.12 को आपूर्तिकर्ता को निर्गत किया गया। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड जो वित्त विभाग के संकल्प सं० एम-4-35/2002/1293/वि०-2 दिनांक 23.2.2007 द्वारा राज्य कय संगठन नामित है अर्थात् रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता है इस संस्था द्वारा उससे भी निविदा निकालने से पहले या बाद में संपर्क नहीं साधा गया। ब्रेडा या बेलटान द्वारा 05.09.12 से प्रति पीस सोलर लाइट का दाम ₹ 22355/- एवं 5 साल की वारंटी के साथ ₹ 26750/- प्रति पीस की दर सभी कर सहित निर्धारित की गयी थी। परन्तु प्रस्तुत संचिका के अवलोकन से पता चला कि नगर पंचायत कांटी द्वारा प्रति पीस ₹ 49800/- की दर का भुगतान किया गया, अर्थात् राशि ₹ 1394400/- (49800×28) का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल ₹ 645400/- $\{(49800 \times 28) - (26750 \times 28)\}$ का अधिक भुगतान किया गया।
3. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131(0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर **Performance Security** के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य का 05-10 प्रतिशत की राशि **Security deposit** के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को **Forfeit** की जा सके, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि उपर्युक्त नियमानुसार इस मद में कोई राशि की कटौती नहीं की गयी थी। इस प्रकार आपूर्तिकर्ता से राशि ₹ 139440/- की कम कटौती की गयी। फलस्वरूप राशि ₹ 139440/- का अधिक भुगतान हुआ और कार्यालय द्वारा **Performance Security** के रूप में राशि की कटौती आपूर्तिकर्ता से नहीं करना कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही एवं आपूर्तिकर्ता को **undue favour** की ओर इशारा करती है।
4. सभी सोलर लाइट का गारंटी कार्ड संचिका में सलग्न पाया गया, परन्तु गारंटी कार्ड के सभी कॉलम खाली पाए गए।

उक्त आपत्ति के जवाब में कार्यालय द्वारा यह कहा गया कि वैट के मद में अधिक भुगतान की गयी राशि की संबंधित मद में जमा की विवरणी आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जायेंगे एवं अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जायगा। कम सं० 2 एवं 3 में उठाए गए आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि जमा की विवरणी आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएं एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाए, तब तक अधिक भुगतान की गयी राशि ₹ 701386 (55986+ 64500) संबंधित व्यक्तियों से वसूल की जाए एवं शेष राशि ₹ 693014 (1394400- 701386) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या:- 3 होल्डिंग टैक्स से संबंधित माँग का निर्धारण नहीं, वसूली गई राशि

रु 4.51 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127(क) में नगर निकाय को जमीनों और भवनों पर सम्पत्ति कर वसूल करने की शक्ति प्रदान की गई है। उक्त वसूली हेतु नगर निकाय को अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली जमीनों और भवनों का आकलन कर माँग बनाया जाना आवश्यक है।

नगर पंचायत, कांटी द्वारा सम्पत्ति कर से संबंधित माँग नहीं बनाया गया था। इस संबंध में कोई संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए माँग एवं वसूली से संबंधित विवरण से स्पष्ट हुआ कि माँग का निर्धारण नहीं किया गया, बिना माँग के ही गृह कर के रूप में वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल रु 451780/- वसूल की गई (विवरण परिशिष्ट-IV पर संलग्न है)। बिना डिमांड के वसूली के आधार की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। यह भी पता नहीं लगाया जा सका कि जो वसूली की गयी वह सही थी अथवा नहीं।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि सभी वार्ड का डिमांड रजिस्टर वर्तमान में तैयार नहीं है। डिमांड रजिस्टर तैयार कर लिया जाएगा।

कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि डिमांड रजिस्टर तैयार कर 2013-14 से 2015-16 की अवधि में प्राप्त राशि की जांच तैयार किए जाने वाले डिमांड से की जाए एवं फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका संख्या:- 4 सरकारी भवनों से संबंधित होल्डिंग टैक्स एवं कांटी थर्मल आवासीय परिसर का गृहकर का बकाया रु 113.06 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127(क) से 127(ड) तक में नगर निकाय को विभिन्न प्रकार का कर वसूल करने की शक्ति प्रदान की गई है। उक्त वसूली हेतु नगर निकाय को अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सरकारी भवनों पर कर का आकलन कर माँग बनाया जाना आवश्यक है।

नगर पंचायत, कांटी द्वारा बनायी गयी सरकारी भवनों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि सरकारी भवनों से संबंधित मांग एवं वसूली विवरणी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत विवरणी के अनुसार 2013-14 से 2015-16 तक इस मद में वसूली नहीं हुई जबकि 31.03.2016 तक कुल माँग रु 5778482/- था। विवरणी से यह भी स्पष्ट है कि कांटी थर्मल आवासीय परिसर का गृह कर बकाया 2015-16 तक रु 5528151/- था। इस प्रकार सरकारी भवन एवं कांटी थर्मल आवासीय परिसर का गृह कर का कुल बकाया रु 11306583/- था। (विवरण परिशिष्ट-V पर संलग्न है)

कार्यालय नगर पंचायत कांटी द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु सकारात्मक पहल किया जाए एवं फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को भी अवगत कराया जाए।

कंडिका संख्या:- 5 भवन कर की राशि कम जमा, रु 500/-

नगर पंचायत कांटी के वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक लेखाओं के लेखापरीक्षा के भवन कर रसीद तथा दैनिक संग्रह पंजी के जाँच में पाया गया कि रसीद सं० 2807 से रु 600/- की वसूली की गई, परन्तु डेली संग्रह पंजी में रु 200/- जमा किया। इस प्रकार रु 400/- कम जमा किया गया पाया गया। पुनः रसीद सं० 2906 से रु 100/- की वसूली की गई जिसे संग्रह पंजी में प्रविष्टि नहीं की गई। इस प्रकार कुल रु 500/- राशि नहीं जमा की गयी।

उक्त आपत्ति के आलोक में लेखापरीक्षित इकाई द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि उक्त राशि रु 500/- जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कराया जाए।

कंडिका संख्या:- 6 अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशि रु 0.10 लाख

नगर पंचायत कांटी द्वारा उपलब्ध कराए गए विविध रसीद तथा रोकड़ बही/बैंक पासबुक के मिलान के दौरान पाया गया कि विभिन्न मद के लिए वसूली की गई राशि को पंचायत कोष में कम/नहीं जमा किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

क्रम सं०	रसीद सं०	दिनांक	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	कम जमा/नहीं जमा राशि	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा राशि	संग्राहक का नाम	
1	326	04.05.16	1500	00	1500	1500	श्री गणेश कु० शर्मा, जमादार श्री पंकज कु०, सहायक	
2	327	25.04.16	500	00	500	500		
3	323	14.01.16	500	00	500	500		
4	324	31.01.16	500	00	500	500		
5	225 से 280	02.08.14 से 16.03.16	128578	121504	7074	7074		
कुल						10074	10074	

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में राशि ₹ 10074/- दिनांक 26.05.16 को नगर पंचायत निधि (युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया खाता सं0 0860010345200) में जमा किया गया।

भाग-III (TAN)

टिप्पणी :-1 सरकारी अनुदान

सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तशेष को दर्ज किया जाना है। इसको बिहार नगरपालिका नियमावली, 1928 के नियम-141 के प्रारूप में संधारित करना है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत कॉटी में अनुदान पंजी संधारित नहीं था। इसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

हालाकि प्रस्तुत विभिन्न रोकड़वहियों के अवलोकन से यह पता चला कि नगर पंचायत कॉटी को वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि में राशि ₹ 71611852/- प्राप्त हुई। (विवरणी परिशिष्ट-VI पर संलग्न) अनुदान पंजी के अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि इन अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया अथवा नहीं जिन प्रयोजनों के लिए ये अनुदान सरकार से प्राप्त हुए थे, साथ ही, यह भी नहीं ज्ञात किया जा सका कि प्राप्त अनुदानों के विरुद्ध कितने राशि का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राशि अनुपयोगी पड़ी रही।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि अंकेक्षण आपत्ति के सुझाव को देखते हुए भविष्य में अनुदान पंजी का संधारण किया जायगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि अनुदान पंजी का संधारण उपर्युक्त नियमानुसार कर अगले अंकेक्षण के समक्ष आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

टिप्पणी :- 2 परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 105 में यह प्रावधान किया गया है कि-

- (1) सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है के विवरणों की एक पंजी तथा एक मानचित्र रखेगी तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों की पंजी भी समिति के अधीन रहेगी।
- (2) किसी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे द्दिन्हित करेगी तथा उसे बजट-प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।"

नगर पंचायत कौटी द्वारा परिसम्पत्ति पंजी को अंकेक्षण के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण यह पता नहीं चल सका कि नगर पंचायत कौटी द्वारा परिसम्पत्ति पंजी का संधारण किया जा रहा था या नहीं साथ ही साथ यह भी पता नहीं चल सका कि परिसम्पत्तियों से कार्यालय को कितनी आय प्राप्त हो रही थी।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया अंकेक्षण के सुझावों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में परिसम्पत्ति पंजी का संधारण किया जाएगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि परिसम्पत्ति पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध करायी जाय।

टिप्पणी :-3 वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय- व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम-82 तथा 83 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के आय तथा व्यय का विवरण फार्म XVII तथा XVIII में दर्ज किया जाएगा तथा लेखापाल द्वारा फार्म XIX में वार्षिक लेखा संधारित किया जाएगा।

परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक वार्षिक लेखा अंकेक्षण दल के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि अंकेक्षण के सुझाव को देखते हुए भविष्य में वार्षिक लेखा तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि वार्षिक लेखा तैयार कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

टिप्पणी :- 4 वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र का प्रस्तुतीकरण

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 90 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक को कार्यालय, आय एवं व्यय का वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र उपलब्ध करवाएगा, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण एवं तुलनपत्र तैयार कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

टिप्पणी :- 5 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही,

नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक को भेजेंगे।

अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे लेखा परीक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लेखा परीक्षा कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय।

टिप्पणी:-6 नगरपालिका लेखा समिति द्वारा क्रियान्वित कार्य

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 98 में नगरपालिका लेखा समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है।

इसके संबंध में अंकेक्षण दल को निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध नहीं कराया गया।

1. इस समिति का गठन एवं समिति के सदस्यों की सूची अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. इस समिति की बैठक हुई या नहीं
3. इस समिति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया गया या नहीं

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं किया गया है। भविष्य में किया जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि नगरपालिका लेखा समिति के गठन की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाय।

टिप्पणी :-7 द्वि-प्रविष्टि प्रणाली में लेखाओं का संधारण

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 4 के अनुसार सभी नगरपालिकाओं को अपने लेखा पुस्तकों को द्वि-प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली के अनुसार संभूति लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करते हुए रखेगी।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण द्वि-प्रविष्टि में लेखाओं का संधारण नहीं किया जा रहा है। भविष्य में उक्त प्रणाली में लेखाओं के संधारण करने पर ध्यान दिया जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में द्वि-प्रदिष्टि में लेखाओं का संधारण करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाए एवं फलाफल से अंकक्षण कार्यालय को सूचित किया जाये।

टिप्पणी :- 8 विज्ञापन शुल्क

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 145 से 147 तक नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु नगर निगम से अनुज्ञप्ति लेने का प्रावधान है एवं नगर निगम अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु उस दर से उस पर शुल्क वसूल करेगा जो निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इसी अधिनियम की धारा 146(6) के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी एक रजिस्टर का संधारण कराएगा जिसमें इस धारा के अधीन निर्गत की गयी अनुज्ञप्तियाँ विज्ञापन स्थल के बारे में अलग अलग अभिलिखित रहेगा।

निम्नलिखित तथ्यों से लेखापरीक्षा को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया:-

1. नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत के सभी विज्ञापन स्थलों का सर्वे कराया गया है या नहीं।
2. अधिनियम के धारा 146(6) के अनुसार नगर निकाय द्वारा विज्ञापन अनुज्ञप्ति हेतु रजिस्टर का संधारण किया गया या नहीं।
3. जिन विज्ञापन दाताओं पर पूर्व का अनुज्ञप्ति शुल्क बकाया था उनके अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया या नहीं।

जवाब में बतलाया गया कि वर्तमान में नगर पंचायत में विज्ञापन शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है। अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 145 से 147 तक के अनुपालन करते हुए विज्ञापन स्थलों का सर्वे कराया जाय एवं विज्ञापन शुल्क की वसूली की जाय एवं फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करायी जाय।

टिप्पणी :-9 मोबाईल टावर पंजीकरण/नवीकरण शुल्क

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित मोबाईल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रूप में रु. 30000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क रु. 8000 प्रति टावर प्रतिवर्ष देय है। इसके अलावा, एक ही टावर पर प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क वसूलनीय है। साथ ही, यह भी प्रावधान है कि वार्षिक नवीकरण शुल्क यदि दैन्य माह (अप्रैल) में अग्रिम नहीं दिया जाता है तो प्रतिमाह डेढ़ (1.5) प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलनीय होगा। बिना रजिस्ट्रेशन एवं नवीकरण शुल्क भुगतान किए तथा बिना नगर पंचायत के अनुमति के संचार टावर स्थापित किया जाना गैरकानूनी (अवैध) माना जायेगा तथा इस स्थिति में नगर पंचायत को मोबाइल कम्पनियों के टावर को सील करने का अधिकार प्रदत्त है।

पुनः सरकार के पत्रांक 757 दिनांक 14.2.2014 के द्वारा सभी स्थानीय नगर निकायों को उक्त नियमावली के अनुरूप अप्रैल 2011 से मांग पत्र तैयार कर वसूली हेतु कारवाई करने का अनुरोध किया गया था।

कांटी नगर पंचायत में मोबाइल टावर की कुल संख्याएँ एवं उस पर बकाया कुल पंजीकरण/नवीकरण शुल्क से संबंधित संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही बकाया संबंधित विवरणी ही उपलब्ध कराया गया जिसके कारण यह पता नहीं चल सका कि मोबाइल टावर कंपनियों पर कुल कितनी राशि बकाया है।

कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

मोबाइल टावर शुल्क नगर निकाय का एक महत्वपूर्ण आंतरिक स्रोत हैं।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कार्य किए जाएं जिससे कि नगर निकाय के आंतरिक स्रोत में बढ़ोतरी हो सके।

टिप्पणी :-10 ट्रेड लाइसेंस

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के अनुसार नगरपालिका की अनुज्ञप्ति के बिना किसी परिसर का उपयोग गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए नहीं होगा। इसके लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति देगा जिसका शुल्क दो हजार पांच सौ रूपए तक हो सकता है। अनुज्ञप्ति की अवधि एक वित्तीय वर्ष की होगी और इसकी समाप्ति के बाद नवीकरण कराना आवश्यक होगा। उक्त धारा के अंतर्गत **Municipal Corporation License Regulation, 2012** में ट्रेड लाइसेंस लेने का प्रावधान किया गया। उक्त विनियम के नियम 8 में रिटेलर/सेवा प्रदाता जिनका सालाना व्यापारवर्त (Annual Turnover) रू10 लाख तक है, के लिए रू 1000/- तथा होलसेलर, गोडाउन, वेयरहाउस, थियेटर एवं रिटेलर, सेवा प्रदाता जिनका सालाना व्यापारवर्त (Annual Turnover) रू10 लाख से अधिक हो, के लिए रू 2500/- अनुज्ञप्ति शुल्क का प्रावधान किया गया। साथ ही विनिर्माता, होटल, रेस्तरां, अतिथिशाला, धर्मशाला, बार, क्लब, फूड प्लाजा,, कॉफी/टी हाउस, विवाह भवन, सम्मेलन कक्ष, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, निजी क्लिनिक, खतरनाक एवं भयावह व्यवसाय के लिए भी रू 2500/- अनुज्ञप्ति शुल्क का प्रावधान किया गया। इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के एक माह के अंदर ट्रेड लाइसेंस हेतु आवेदन प्रस्तुत करना है तथा ऐसा नहीं करने पर रू50/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लेकर ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने का प्रावधान है। अनुज्ञप्ति की अवधि एक वर्ष की होगी तथा उक्त अवधि की अंतिम तिथि के पहले वार्षिक शुल्क के साथ अनुज्ञप्तिधारी को नवीकरण हेतु आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वार्षिक शुल्क के साथ साथ रू 300/- प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया। अनुज्ञप्ति का नवीकरण तीन माह तक नहीं होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को निरस्त करने एवं व्यवसाय को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश देने का अधिकार नगरपालिका को प्रदत्त है।

उपरोक्त विनियम के आलोक में नगर पंचायत, कांटी में दिनांक 31.3.2016 तक व्यापार अनुज्ञप्ति (Trade License) के संबंध आवेदन करने वाले व्यवसाईयों एवं उन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त हुआ या नहीं इस संबंध में

पूछे जाने पर बतलाया गया कि गत माह में बोर्ड से पारित हुआ है। पारित आदेश के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में की गयी कार्रवाई के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

—हस्ता—

सालकीन अहमद

(स०ले०प०अ०)

—अनुमोदित—

उप महालेखाकार (एस० एस० 1)

—सह—

स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

कांटी नगर पंचायत

लेखा परीक्षा के दौरान जांच किये गये अभिलेखो / पंजियों की [सुचि]

(प्रतिवेदन की कड़िकासे संदर्भित)

1. लेखापाल रोकडबही एवं टेजरी पासबुक
2. रोकडपाल रोकडबही एवं संबधित बैक पासबुक
3. होल्डिंग रसीद
4. मनी रसीद
5. सहायक रोकडबही
6. स्टोक रजिस्टर-- एच,एम एवं स्थायी सामग्री
7. योजना पंजी
8. योजना संचिका- आंषिक
9. सामानों के क्रय से संबधित संचिका
10. अभिश्रव- आंषिक
11. अनुदान पत्रो की संचिका



परिशिष्ट- 2
अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

(12)

1. मॉग एवं वसूली पंजी (सम्पत्ति कर)
2. मॉग एवं वसूली पंजी (दुकान किराया)
3. सेवा पुस्त
4. भविष्यनिधि पासबुक
5. वाद पंजी
6. सम्पत्ति पंजी
7. गाड़ी का लॉग बुक
8. जेनरेटर का लॉग बुक
9. वेतन पंजी
10. अनुदान पंजी
11. चेक निर्गत पंजी
12. वार्षिक लेखा
13. दैनिक मजदुरों के भुगतान से संबंधित संचिका
14. उपयोगिता प्रमाण पत्र
15. सैरातों से संबंधित पंजी
16. एस. जी. एस. आर. वाई से संबंधित संचिका

सहायक रोकड की आय-व्यय विवरणी।

कार्यालय नगर पंचायत कांटी, मुजफ्फरपुर।

सं-2015-16

सहायक रोकड की आय-व्यय विवरणी।

सं-2015-16

क्र०	मद का नाम	01.04.2015 को अवशेष राशि	प्राप्त ग्रांट आय	सूद	कुल	व्यय	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	B.R.G.F	15,96,769	---	76,738.00	16,73,507	4,74,000	11,99,507
2	नगर पंचायत कोष	3,20,107.00	21,01,266.00	19001.00	24,40,374	9,38,414.00	15,01,960.00
3	मैचिंग ग्रांट	7,98,275	3,54,000.00	2719.00	11,54,994	1,30,000.00	10,24,994.00
4	वाणिज्यकर मद	9,28,577.55	8,58,949.00	---	17,87,526	---	17,87,526.00
5	प्रशासनिक भवन	29,31,211.00	---	1,18,420.00	30,49,631.00	---	30,49,631.00
6	12वें वित्त मद	10,24,929.00	---	9257.00	10,34,186.00	3,31,004.00	6,52,882.00
7	कबीर अन्तयेष्टी	3,06,449.00	3,35,000.00	7913.00	6,50,362.00	2,55,010.00	3,95,352.00
8	I.D.S:M.T.	47,34,181.00	---	73,222.00	48,07,403	4,45,000.00	48,07,224.00
9	जनगणना	1,30,053.00	1,12,750.00	---	2,42,803	56,628.00	1,86,175.00
10	S.J.S.R.Y	45,175,21.19	---	2,33,131.00	47,50,342.19	38,006.00	47,09,246.19
11	वसुध-1	38,99,126	---	---	38,99,126.00	4,42,500.00	20,54,626.00
12	वसुध-2	2,05,24,45	---	3309.00	2,05,27,759	1,63,75,367.00	36,52,392.00
13	13वें वित्त	6,00,8060.00	18,01,001.00	1,65,659.00	80,24,720	14,080.00	13,10,640.00

कुल

47766708

5613966

709369

27757888